न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–519/2026

(CNR No.UPBH01001226–2026)

हसीब अहमद उम्र 28 वर्ष पुत्र हबीब अहमद, निवासी–बनकुरी, थाना–रुपईडीहा, जनपद–बहराइच।

---आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य--- ---अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–02/2026,
धारा–105 बी०एन०एस०,
थाना–रुपईडीहा, जनपद–बहराइच।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

12.03.2026

1. थाना–रूपईडीहा, जनपद–बहराइच के मुकदमा अपराध सं०–02/2026, अन्तर्गत धारा–105 बी०एन०एस० में जिला कारागार, बहराइच में निरुद्ध आवेदक/अभियुक्त हसीब अहमद की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र शपथी हबीब के शपथ–पत्र के साथ जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह कथन किया गया है कि उसका जमानत प्रार्थना–पत्र सत्र न्यायालय पर प्रथम है। किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में विचाराधीन नहीं है और न ही निस्तारित ही हुई है।

3. जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

4. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी सद्दाम हुसैन उर्फ मुनऊ दिनाँक–02.01.2026 को नमाज के बाद अपने घर पर समय करीब 02:40 बजे मौजूद थे। उसके घर से कुछ ही दूरी पर खेत में उसका भाई शादाब अली जो गाँव में छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, तभी उसके गाँव का हसीब डण्डा लेकर आया और हसीब को अचानक डण्डे से मारने लगा, जिसके कारण उसको काफी चोटें आईं। जब शोर–शराबे की आवाज गांव वालों ने सुनी तो वह भाग कर पहुँचा, तो देखा कि हसीब उसके भाई शादाब को डण्डे से मार रहा था, जब वह उसको देखा तो वह वहाँ से भाग गया। उसके पिता जी भी मौके पर आ गये। वह व उसके पिता जी शादाब को लेकर बाबागंज जनता हास्पिटल पहुँचे तो वहाँ से डाक्टर ने उसके भाई को बहराइच के लिए रेफर कर दिया था, जिसको वे लोग लेकर जा रहे थे कि रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गयी। चूँकि उसके भाई शादाब ने लगभग एक वर्ष पहले हसीब की बहन से प्रेम विवाह

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.03.12 16:54:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

किया था, जिसको लेकर हसीब उसके भाई से खुन्नश रख रहा था, जिस कारण उसने शादाब को जान से मार डाला।

5. वादी द्वारा दी गई उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना–रूपईडीहा में दिनाँक–02.01.2026 को समय 22:55 बजे आवेदक/अभियुक्त हसीब के विरुद्ध मुकदमा अपराध सं०–02/2026, अन्तर्गत धारा–105 भारतीय न्याय संहिता के अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई। विवेचनोपरान्त मामले में आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप–पत्र उपर्युक्त धारा के अन्तर्गत न्यायालय में प्रेषित किया गया।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र में वर्णित अभिकथनों का समर्थन करते हुये कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट बिल्कुल फर्जी व मनगढ़न्त है, क्योंकि तथाकथित घटना दिनांक–02.01.2026, समय 02:40 बजे की बताई जा रही है और रिपोर्ट काफी विलम्ब से व सोच–विचार करके लोगों के बहकावे में आकर दर्ज कराई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम सूचक द्वारा तथाकथित आवेदक/अभियुक्त को मौके पर न तो मारते देखा है, न ही आवेदक/अभियुक्त से डंडा छीनने का प्रयास किया और न ही मृतक को किसी ने बचाने का ही प्रयास ही किया है। इससे स्पष्ट है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारपीट रहा है, तो वह स्वाभाविक है कि बचाने का प्रयास करेगा। आवेदक/अभियुक्त की बहन की शादी शादाब अली से तय हो रही थी, किन्तु शादी के लिये आवेदक/अभियुक्त राजी नहीं था, किन्तु शादाब अली के साथ एक साल पूर्व शादी हो गयी और घर पर आना–जाना शुरू हो गया था और किसी प्रकार की कोई द्वेष भावना शादाब के विरूद्ध आवेदक/अभियुक्त की नहीं थी। शादाब अली बच्चों के साथ खेल रहा था। इसकी जानकारी आवेदक/अभियुक्त को मिली है, क्योंकि तथाकथित घटना वाले दिन आवेदक/अभियुक्त घर पर मौजूद नहीं था, कुछ काम से रूपईडीहा गया था और जब वापस आया, तो जानकारी यह मिली कि शादाब अली के गेंद खेलते समय स्टम्प उछल कर सर में लग गया और वह रोते हुए अपने घर आया। उसके छोटे भाई उसे इलाज कराने ले गये। लोग यह भी कह रहे थे कि शादाब अली के भाई सद्दाम हुसैन आवेदक/अभियुक्त से पुरानी रंजिश निकालना चाहता है और उसको इस मामले में फंसाना चाहता हैं। प्रथम सूचक व उसके माता–पिता ने आवेदक/अभियुक्त से पुरानी रंजिश के नाते फर्जी फंसाने के नाते मनगढ़न्त कहानी बनाकर फर्जी मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। तथाकथित घटना से आवेदक/अभियुक्त का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट, बयान वादी व गवाहान से स्पष्ट है कि तथाकथित घटनास्थल पर घटना कारित किये जाने का कोई साक्ष्य भी नहीं है, जो अभियोजन के द्वारा एकत्रित किये गये हैं, केवल सुने–सुनाये साक्ष्य हैं। वह दिनांक–05.01.2026 से जिला कारागार, बहराइच में निरुद्ध है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर याचना की गई कि आवेदक/अभियुक्त का जामनत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाये।

7. राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया है कि वादी के भाई शादाब(मृतक) ने अभियुक्त की बहन से घटना से पूर्व प्रेम विवाह कर लिया था, इसी रंजिश के कारण अभियुक्त ने घटना वाले दिन जब शादाब अली क्रिकेट खेल रहा था, को डण्डा से मारकर प्राणघातक चोटें कारित कीं, जिससे आई

चोटों के फलस्वरूप उक्त शादाब अली की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मृत्यु हो गई। मृतक शादाब के शव का पंचायतनामा हुआ फिर पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर मृत्यु पूर्व सिर में आई चोट के कारण उसकी मृत्यु कोमा में जाने के कारण होना अंकित है। घटना का समर्थन वादी मुकदमा, चश्मदीद साक्षीगण, स्वतन्त्र साक्षीगण व अन्य साक्षियों ने विवेचक को दिये अपने–अपने बयान में किया है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं। घटना का मोटिव पर्याप्त है। विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन के उपरान्त आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने की दशा में वह विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा, साक्षियों को डराये–धमकायेगा और विवेचना में सहयोग नहीं करेगा। आवेदक/अभियुक्त नेपाल जा सकता है, क्योंकि पूर्व में भी वह नेपाल काम–धन्धे के सिलसिले में आता–जाता रहता था। कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

8. पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी एवं सुसंगत प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध यह अभियोग है कि उसने वादी सद्दाम हुसैन के भाई शादाब अली की पूर्व रंजिश के कारण डण्डे से मारकर गैर इरादतन हत्या कारित की। पत्रावली में मृतक शादाब का पंचायतनामा संलग्न है, जिसमें पंचानों ने शादाब की मृत्यु हसीब द्वारा डण्डे से मारने के कारण होना अभिकथित किया है। संलग्न पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक शादाब के शव का पोस्टमार्टम दिनाँक–03.01.2026 को 02.50 पी०एम० से 03.30 पी०एम० तक किया गया, जिसमें मृतक के शरीर पर मृत्यु पूर्व सिर के बाँये टेम्पोरो आक्सीपिटल क्षेत्र में नीलगू पाया गया। मस्तिष्क फटा हुआ एवं हेमोटोमा मौजूद था। मृतक की मृत्यु, मृत्यु पूर्व आई सिर की चोट से उत्पन्न कोमा में जाने से होना उल्लिखित है। केस डायरी के पर्चा सं०–1 में वादी सद्दाम हुसैन ने विवेचक को दिये अपने बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन करते हुए शोर–शराबे पर मौके पर पहुँचकर हसीब द्वारा शादाब को डण्डे से मारते हुए देखने, हसीब को मौके से भाग जाने, उसके व उसके पिता द्वारा शादाब को बाबागंज जनता हास्पिटल ले जाने, वहाँ से बहराइच के लिए ले जाते समय रास्ते में शादाब की मृत्यु होने, शादाब द्वारा एक वर्ष पूर्व हसीब की बहन से प्रेम विवाह करने के कारण हसीब द्वारा खुन्नश रखकर शादाब को जान से मार डालने का अभिकथन किया। केस डायरी के पर्चा सं०–9 में गवाहान आसमीन, सालना, मो० हुसैन उर्फ मुन्नौव्वर, निसार व तसलीम एवं केस डायरी के पर्चा सं०–13 में चश्मदीद गवाहान वजहू, सलाहुद्दीन, जुमई खान, रहीमुद्दीन व गुलाम तथा स्वतंत्र साक्षी मतलू खान व जिब्राइल ने विवेचक को दिये अपने–अपने बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। केस डायरी के पर्चा सं०–16 में डॉक्टर शशिभूषण यादव ने स्वयं द्वारा मृतक शादाब का पोस्टमार्टम करने एवं शादाब की मृत्यु उसके सिर में पीछे से डण्डे जैसी चीज से मारने से होने का अभिकथन किया है। उक्त पर्चे में ही अभियुक्त के पिता साक्षी हबीब एवं अभियुक्त की पत्नी साक्षी सकीरुलनिशा ने विवेचक को दिये अपने–अपने बयानों में शादाब को डण्डे से मारकर मृत्यु कारित करने का अभिकथन किया है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। विवेचक द्वारा पर्याप्त साक्ष्य संकलन के उपरान्त आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है।

9. अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये मामले

के गुण–दोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदक/अभियुक्त की जमानत का आधार उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त हसीब अहमद की तरफ से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(राजेश कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,बहराइच।

दिनाँकः 12.03.2026 **I.D.UP–2017**